



माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय
(मध्यप्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक 15, 1990 द्वारा स्थापित)
MAKHANLAL CHATURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM & COMMUNICATION
(Setup by Act No. 15, 1990 of M.P. Legislative Assembly)



सं.अ.सं./क्रमांक/२४४/2020

दिनांक 30/09/2020

सूचना

(सत्र 2020-21 हेतु वार्षिक नवीनीकरण शुल्क ऑनलाईन जमा करने की तिथि दिनांक 10 अक्टूबर, 2020 तक बढ़ाई जाने हेतु)

समस्त संबद्ध अध्ययन संस्थाओं को सूचित किया जाता है कि नवीनीकरण शुल्क जमा करने की अंतिम 20 सितंबर, 2020 तक बढ़ाई गई थी। रेग्युलेशन-18, 2008 के अनुसार संस्थाओं की संबद्धता निरंतर रखने हेतु वार्षिक नवीनीकरण शुल्क जमा कराना अनिवार्य है।

अतः ऐसी समस्त संबद्ध अध्ययन संस्थाएं जिन्होंने नवीनीकरण शुल्क जमा नहीं किया है, इन संस्थाओं को नवीनीकरण शुल्क जमा करने के लिए अंतिम अवसर प्रदान करते हुए दिनांक 10 अक्टूबर, 2020 तक एम.पी. ऑनलाईन का पोर्टल खोला जा रहा है।

संबद्ध अध्ययन संस्थाओं को यह भी सूचित किया जाता है कि एम.पी. ऑनलाईन के माध्यम से नवीनीकरण शुल्क जमा करने के पश्चात ही छात्रों के ऑनलाईन नामांकन फार्म भरे जा सकेंगे।

(डॉ. मनीष माहेश्वरी)

निदेशक,

(संबद्ध अध्ययन संस्थाएं)

दिनांक 30/09/2020

पृ. क्र. सं.अ.सं./क्रमांक/२१२/2020

प्रतिलिपि सूचनार्थ :-

1. निज सचिव, कुलाधिसचिव, कुलसचिव की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. वेब मास्टर, विश्वविद्यालय की ओर वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।
3. प्रबंधक, एम.पी. ऑनलाईन लि. को इस निर्देश के साथ कि कृपया 10 अक्टूबर, 2020 तक नवीनीकरण शुल्क ऑनलाईन प्राप्त करने हेतु पोर्टल खुला रखने का प्रबंध करें।

(डॉ. मनीष माहेश्वरी)

निदेशक,

(संबद्ध अध्ययन संस्थाएं)